

जनेस पोस्ट के अनर्गल डाक
के माद भुगतान (विना डाक
स्ट) के प्रेषण हेतु अनुमत्. क्रमांक
22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
दिनांक 30-5-2001."



पंतीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क 18]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2006—वैशाख 15, शक 1928

विषय—सूची

1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4)
राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं,
(7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय
सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रश्न समिति के
प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1)
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के
अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 7-16/2005/1/6.—राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2005 के तारतम्य में सूचना
अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा उक्त अधिनियम
धारा 24 (4) के तहत अपराध अनुसंधान शाखा (सी.आई.डी.) छत्तीसगढ़ को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों से
प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.